संख्या– 282/VI-I/2011–2(6)2009

प्रेषक,

डा0 रंजीत कुमार सिन्हा
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड।

संस्कृति , पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग –2 देहरादून दिनांक : 11 मार्च, 2011

विषय :–जनपद हरिद्वार में आडिटोरियम भवन निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1480/स.नि.उ./दो–3/2010–11 दिनांक–26–10–2010 एवं शासनादेश संख्या–116/VI-I/2008–2(1)/2007, दिनांक–24–3–08 तथा के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद हरिद्वार में आडिटोरियम के निर्माण कार्य हेतु संस्तुत धनराशि रू0 167.37 लाख मात्र के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 40.00 लाख तथा शासनादेश संख्या–261/VI–2/2009 दिनांक– 15 मार्च 2010 में उक्त निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में रू0 40.00 लाख के उपरान्त अवशेष बची धनराशि रू0 87.37 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 40.00 लाख (रू0 चालीस लाख) मात्र की धनराशि आपके निवर्तन पर रखते हुए निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जाय, जितनी धनराशि का व्यय दिनांक–31–3–2011 तक हो सके। धनराशि कार्यदायी सस्था को पार्किग होने की दशा में पूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा।

3. उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। ऐसे व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। किसी भी दशा में धनराशि का आहरण परिव्यय एवं बजट से अधिक न किया जाय।

4. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल,उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, भण्डार कय नियम तथा मितव्ययता सम्बंधी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उपकरणों का कय डी0जी0एस0एन0डी0 दरों पर किया जाएगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेण्डर, कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए ही किया जाएगा।

5. समस्त वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा किसी भी बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट न होने पर तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

6. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें, तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

9. आगणन में जिन मदों हेतु राशि स्वीकृत की गयी है व्यय उन्हीं मदों पर किया जाय, एक मद की राशि दूसरे मदों पर कदापि व्यय न की जाय।

10. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व, विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कार्य टेकअप किया जाये।

11. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री किसी प्रयोगशाला से टेस्टीग करा ली जाय तथा उपयुक्त पाये जाने वाली सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

12. जी.पी.डब्लू फार्म 09 की शर्तो के अनुसार निमार्ण इकाई को कार्य सम्पादित कराना होगा तथा कार्य को समय से पूर्ण न करने पर दस प्रतिशत की दर से आंगणन की कुल लागत का निर्माण बकाया से दण्ड वसूल किया जायेगा।

13. मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के शासनादेश सं.0–2047/XIV–219(2006) दिनांक–30–5–2006 एवं शासनादेश सं0–475/XXVII (7)/2008 दिनांक–15 दिसम्बर, 2008 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन किया जायेगा।

14. कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाय कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा। कार्य को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

15. उक्त स्वीकृत धनराशि शासन के वर्तमान सुसंगत आदेशों/नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाय तथा जहां आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जाय। धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।

16. उक्त कार्यो को समयबद्ध ढंग से पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, तथा विलम्ब की दशा में आंगणन का पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा।

17. कार्यो की गुणवत्ता के संबंध में थर्ड पार्टी की भी व्यवस्था की जायेगी, जिसके सापेक्ष होने वाला व्यय सेन्टेज चार्ज से वहन किया जायेगा।

18. आडिटोरियम के रख–रखाव हेतु पद का सृजन नहीं किया जायेगा, तथा उक्त की व्यवस्था भी जिलाधिकारी द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–04 कला एवं संस्कृति–800–अन्य व्यय–03 सांस्कृतिक परिषद कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण–00–24 वृहत निर्माण कार्य मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1092 (पी) /XXVII–3/2011 दिनांक– 09 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रंजीत कुमार सिन्हा)
अपर सचिव

पृष्ठांकन संख्या– 282 /VI-I/2011–2(6)2009 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, वैभव पैलेस, सी–1/105 इन्द्रिरा नगर, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. महा प्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल निमार्ण निगम।
5. बजट राजकोषीय नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. एन0आई0सी0 देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव